न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला–.........राँची..................., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–............09..........सन्–....2020–21.......।

वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद

अर्जीकार–उषा देवी बनाम प्रतिपक्षी–अंचल अधिकारी, बुण्डू

आदेश

07.09.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–उषा देवी, पति–अनन्त महतो, सा०–परमार्थ नगर, तुपुदाना, जिला–राँची के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–433 R27/2018-2019/बुण्डू में दिनांक–08/05/2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
ताऊ	बुण्डू	0027	287	1598	20 डिसमील

चौहदीः– उ०–भरत महतो, द०–सहायक रास्ता, पू०–बेला कुमारी, प०–लेख्यकारीगण नीज।

अपीलार्थी के द्वारा समर्पित अपील आवेदन के अवलोकनोपरांत इस अपील वाद को सुनवाई हेतु ग्रहण किया गया। आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार उपरोक्त वर्णित भूमि को अपीलार्थी ने निबंधित द्वारा दिनांक–09.07.2018 को डीड नं०–365/366, पेज नं०–593 से 700 भोलुम 45 बुक नं०–1 से क्रय कर उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि के नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय, बुण्डू में नामांतरण वाद दायर किया गया जिसे बिना किसी कारणवश अस्वीकृत कर दिया गया।

अपीलार्थी ने अनुरोध किया है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–433 R27/2018-2019/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार नामांतरण आवेदन ऑनलाईन प्राप्त है, जिसमें विक्रेता की विवरणी त्रुटिपूर्ण है। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

8/09

आदेश

अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी से पुनः स्वच्छ आवेदन प्राप्त करते हुए उन्हें सुनकर आवेदित भूमि का दाखिल खारिज हेतु नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

8.07.09

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

8.07.09

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।